भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1233

दिनांक 09 फरवरी 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

'कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या

1233: कुमारी अगाथा के. संगमा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मेघालय राज्य में मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं और सेवाओं की वर्तमान स्थिति के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा वहां मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के लिए पहल की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कोविड-19 महामारी के पश्चात देश में मानसिक स्वास्थ्य भी एक प्रमुख समस्या बन गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;

(घ) मेघालय के जोवाई में मानसिक स्वास्थ्य सेवा का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) वर्ष 2021 से वर्तमान वर्ष तक पंजीकृत किए जा रहे रोगियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार की देश में ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए कदम उठाने की कोई योजना/पहल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (च): सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 738 जिलों में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। मेघालय राज्य में डीएमएचपी को मंजूरी प्रदान की गई है और यह सभी 11 जिलों में कार्यशील है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं निग्रिम्स, शिलांग और एनईआईजीएचआरआईएमएस, शिलांग में भी उपलब्ध हैं।

डीएमएचपी के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) स्तरों पर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में बहिरंग रोगी सेवाएं, रोग मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक कार्यकलाप, गंभीर मानसिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों को सतत् परिचर्या और सहायता, औषधियां, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाले अंतरंग सुविधा केंद्र का प्रावधान है।

लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 के प्रभाव को समझते हुए, सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) सभी प्रभावित आबादी जिसे बच्चों, वयस्कों, बुजुर्गों, महिलाओं और स्वास्थ्य कर्मियों जैसे विभिन्न लक्ष्य समूहों में विभाजित किया गया है को मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 हेल्पलाइन की स्थापना।

(ii) समाज के विभिन्न वर्गों के लिए मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश/सलाह जारी करना।

(iii) सभी के लिए तनाव और चिंता के प्रबंधन तथा सहयोग और परिचर्या के माहौल को बढ़ावा देने हेतु रचनात्मक और ऑडियो-विज़ुअल सामग्री के रूप में विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से जानकारी देना।

(iv) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (निम्हान्स), बेंगलुरु द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश "कोविड-19 महामारी के समय में मानसिक स्वास्थ्य - सामान्य चिकित्सा और विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेटिंग्स के लिए मार्गदर्शन" का प्रचार और प्रसार ।

(v) सभी दिशानिर्देश, परमर्शिकाए और प्रचार सामग्री को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट के "व्यवहारिक स्वास्थ्य - मनोसामाजिक हेल्पलाइन" (https://www.mohfw.gov.in/) के तहत देखा जा सकता है।

(vi) निम्हान्स द्वारा (आईजीओटी)-दीक्षा मंच के माध्यम से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मनोसामाजिक सहयोग हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान कर क्षमता निर्माण।

पूर्वोत्तर राज्यों में डीएमएचपी के अंतर्गत कार्यरत मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

मेघालय राज्य द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, जोवाई में, अप्रैल, 2023 से दिसंबर, 2023 के बीच जिला परामर्श केंद्रों के माध्यम से 572 रोगियों (548-ओपीडी और 24-आईपीडी) को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई हैं और 551 व्यक्तियों को परामर्श सेवाएं प्रदान की गई हैं। सिविल अस्पताल, जोवाई में डीएमएचपी यूनिट में उपलब्ध मानव संसाधन में 01 मनोचिकित्सक (चिकित्सा अधीक्षक के रूप में कार्यरत), 01 मनोवैज्ञानिक, 01 सामाजिक कार्यकर्ता, 01 सामुदायिक नर्स और 01 मनोरोग नर्स हैं।

मेघालय राज्य में, वर्ष 2020-21 से दिसंबर, 2023 तक 72,544 मामलों (नए रोगी-23429, फॉलो-अप मामले-48966 और रेफर मामले-149) को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई हैं।

एनएमएचपी के विशिष्ट परिचर्या घटक के तहत मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर विभागों में विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने तथा विशिष्ट स्तर पर उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केन्द्रों को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कालेजों/संस्थाओं को भी सहायता प्रदान की है। 22 एम्स में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्रावधान है। ये सेवाएं पीएमजेएवाई के तहत भी उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.6 लाख से अधिक एसएचसी, पीएचसी, यूपीएचसी और यूएचडब्ल्यूसी को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अंतर्गत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के दायरे में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, न्यूरोलॉजिकल और मादक पदार्थ के प्रयोग संबंधी विकारों (एमएनएस) के बारे में परिचालन संबंधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

सरकार ने नवंबर, 2022 में राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति जारी की है। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति भारत में आत्महत्या की रोकथाम संबंधी क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए अनेक हितधारकों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। इस राष्ट्रीय कार्यनीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक देश में आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करना है। राष्ट्रीय कार्यनीति में प्रमुख हितधारकों के साथ प्रस्तावित कार्रवाइयों के साथ एक कार्रवाई फ्रेमवर्क , कार्यान्वयन फ्रेमवर्क और तंत्र शामिल है, इस प्रकार यह आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक मार्ग प्रदान करती है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" (एनटीएमएचपी) की शुरूआत की है। दिनांक 30.01.2024 की स्थिति के अनुसार, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 47 टेली मानस सेल स्थापित किए हैं और इन्होनें टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर दिया हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 6,28,000 से अधिक कॉल हैंडल की गई हैं।

*****

अनुलग्नक

पूर्वोत्तर राज्यों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के तहत कार्यरत मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या:

मानव संसाधन	**मेघालय**	**मणिपुर**	**मिजोरम**	**नागालैंड**	**सिक्किम**	**अरुणाचल प्रदेश**	**त्रिपुरा**	**असम**
मनोचिकित्सक/प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी	11	31	6	6	4	8	17	53
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट/प्रशिक्षित साइकोलॉजिस्ट	7	10	9	9	4	4	1	19
मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता /सामाजिक कार्यकर्त्ता	10	11	9	8	3	6	3	17
मनोरोग नर्स / प्रशिक्षित नर्स	8	23	9	4	0	7	176	1
सामुदायिक नर्स	9	8	5	5	0	5	2	2

****